न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा
पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1062/2026
(CNR No. UPET010037852026)

राज पारासर उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र दिलीप कुमार, निवासी मोहल्ला जाटवपुरा, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा। ----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं0–152/2026
धारा–69,351(3),352 बी0एन0एस0
थाना–कोतवाली नगर, जिला एटा।

16.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **राज पारासर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**152/2026** अन्तर्गत धारा–**69,351(3),352 बी0एन0एस0,** थाना **कोतवाली नगर**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2026 को समय करीब 05.00 बजे वादी नरेश की पुत्री/पीड़िता उम्र 21 वर्ष को उसके मौहल्ले का राज पुत्र स्व० दिलीप बहला फुसलाकर अपने साथ मैनपुरी ले गया और शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री के साथ राज ने शारीरिक सम्बन्ध बनाये। वादी ने अपनी पुत्री को काफी तलाश किया, लेकिन कोई पता नही चला। अगले दिनांक 18.01.2026 को शाम के समय राज पुत्र स्व० दिलीप उसकी पुत्री को मौहल्ले में छोडकर भाग गया। उसकी पुत्री/पीड़िता ने घर आकर उसे पूरी घटना बतायी कि उसने राज से शादी करने को कहा, तो राज ने उससे भी वादा किया कि वह उसकी पुत्री से शादी कर लेगा। कुछ समय बाद उसने पुनः राज से शादी करने को कहा तो वह पुत्री से शादी करने की मना करने लगा। तब वादी राज के घर गया और उसके चाचा रिन्कू, विमल तथा राज का भाई रोहित को पूरी घटना बतायी कि राज ने उसकी पुत्री/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये है, जिससे उसकी पुत्री चार माह की गर्भवती है, राज अब शादी करने की मना कर रहा है। इस पर राज के परिजन रिन्कू, रोहित, विमल आग बबूला हो गये और वादी को गाली गलौज कर मारने पीटने पर आमदा हो गया और कहा कि वह अपने लडके की शादी उसकी लडकी के साथ नही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाये, अगर दुबारा उसके दरवाजे पर शादी की बात करने आये तो जान से मार देंगे। राज भी उसकी पुत्री को धमकी दे रहा है कि उससे शादी नही करेगा, जो कर पाये सो कर ले।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की जानकारी के बाद भी घटना के करीब

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.06.16 12:59:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2.5 माह बाद घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही है। आवेदक तथा मुकद्दमा उपरोक्त की पीडिता दोनो ही बालिग है तथा एक ही मौहल्ले के एक ही जाति के सदस्य है। तथाकथित पीडिता ने स्वयं दिनांक 17.01.2026 को एक प्रार्थना पत्र अपने परिवार के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर एटा में दिया था। अपने परिवार वालों से तंग व परेशान होकर तथाकथित पीडिता स्वयं अपने घर से चली गयी थी। वास्तविकता यह है कि मुकद्दमा उपरोक्त की तथाकथित पीडिता दिनांक 18.01.2026 को आवेदक को लेकर मैनपुरी गयी थी। मैनपुरी जनपद की कोतवाली नगर की पुलिस के द्वारा दिनांक 18.01.2026 को आवेदक व पीड़िता को हिरासत में लिया गया था तथा दोनो ही परिवारीजनो को कोतवाली मैनपुरी मे बुलाकर दोनो के ही परिवारीजनो की सुपुर्दगी मे दिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अंकित यह तथ्य कि दिनांक 18.01.2026 को आवेदक, पीडिता को मौहल्ले में छोडकर भाग गया, गलत है। पीडिता ने स्वयं दिनांक 27.01.2026 को एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर एटा को दिया था जिसके कि तथ्य घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्णतया विपरीत है। दिनांक 03.02.2026 को स्वयं आवेदक की मॉ श्रीमती सुनीता देवी ने एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को भेजा गया था, जिसमे यह अंकित किया गया था कि मुकद्दमे का वादी नरेश लगातार उस पर दबाव बना रहा है कि राज के साथ उसकी लडकी की शादी कर दी जाये। उपरोक्त मुकदमा मे कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नही है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास भी नही है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियक्त ने वादिनी/पीड़िता के साथ शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये और बाद में शादी करने से मना कर दिया। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी की पुत्री/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने का अभियोग है।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में अभियुक्त से विगत 05–06 वर्षों से सम्बन्ध होने का कथन किया है, इसी प्रकार पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में भी अभियुक्त से विगत 05–06 वर्षों से सम्बन्ध होने का कथन किया है।

स्वीकृत रूप से इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से ढाई माह के बाद पंजीकृत करायी गयी है। दिनांक 08.04.2026 को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, जिसमें भी उसने 04–05 वर्षों से अभियुक्त से शारीरिक सम्बन्ध होने का कथन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० में यह अंकित है कि अभियुक्त पीड़िता को दिनांक 17.01.2026 को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और दिनांक 18.01.2026 को उसे मोहल्ले में छोड़कर चला गया, जबकि चिकित्सीय परीक्षण कराये जाते समय पीड़िता द्वारा चिकित्सक को यह भी बयान दिया गया है कि यद्यपि उसे 17.01.2026 को अभियुक्त बहला–फुसलाकर मैनपुरी

अपनी नानी के यहाँ ले गया था, किन्तु उन्हें मैनपुरी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और अगले दिन उसके पिताजी के पास पहुँचा दिया गया। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से जनपद मैनपुरी की पुलिस द्वारा संचालित सुपुर्दगी पंजिका की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अभियुक्त को उसके चाचा रिंकी पारासर की सुपुर्दगी में एवं पीड़िता को उसके पिता नरेश बाल्मिकी की सुपुर्दगी में दिये जाने का पृष्ठांकन है। इसके साथ ही एक अन्य प्रपत्र कागज संख्या 7ब/1 दिनांकित 17.01.2026 बचाव पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किया गया है, जो थाना कोतवाली नगर, जिला एटा को सम्बोधित है और पीड़िता द्वारा दिया गया है, जिसमें उसने अपने परिवार के विरुद्ध आरोप लगाते हुए कथन किया गया है कि उसके परिवार वाले उसे जान से मारने तथा घर से निकालने की की धमकी देते हैं, उसके परिवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर पीड़िता द्वारा दिये गये बयान एवं प्रार्थना–पत्र में गंभीर विरोधाभास है।

अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **राज पारासर** का जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा एक लाख रूपये की दो जमानते व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 16.06.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।